2024/123

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डीडवाना

रामनारायण पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल बनाम गोविन्द राम पुत्र नारायण राम जाति मेघवाल

निस्बती - स्टाम्प वसूली - फाइल निस्बती - फौजदार

किस्त मुकदमा दावा - वाद u/s 88,188 RTA सं. 76/2024 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/4/2024	आज यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अ./धारा 88,188 RTA में पेश किया दर्ज हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल दिनांक: 15.5.2024 को पेश हो। Vikas सहायक कलक्टर डीडवाना	
15/5/24	पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 20/6/24 को पेश हो।	
	6/6/2024 पक्षकारान के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी तथा प्रतिवादी गोविन्द राम पुत्र उनके अधिवक्ता उपस्थित। वादी व प्रतिवादी गोविन्द राम ने रामीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य रामीनामा होने के कारण इस विड्राल के जरिए खारिज फरमाया जावे। विड्राल पर उभयपक्ष को सुना गया व रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान के मध्य रामीनामा होने के कारण वादी इस प्रकरण को विड्राल कर रहा है। अतः इस खारिजी प्रकरण हस्ताक्षर बाद जरिए विड्राल खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली अपने नम्बर से दर्ज रोजनामचा हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	(रामनारायण) वादी गोविन्द राम स्टाम्पवादी प्रतिवादी वकील Adv (असल हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner